जो सरकारी कर्मचारी आई० ए० एस०, पी० सी० एस० के रैंक में आते है, उन के परिवार की परिभाषा और गरीब व्यक्ति के परिवार की परिभाषा में क्या कोई अन्तर है ? मैं समझता हूं कि अन्तर नही होना चाहिए । अगर आप ने अन्तर कर रखा है तो वह ठीक नही है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक परिवार में बच्चे होते है, बीवी होती है, एक तरफ एक परिवार के लिए आप एक कोठरी स्ता वे जिस में बीवी-बच्चे सब एक साथ रहें और दूसरी तरफ एक आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी के परिवार के लिए 8 कमरो का मकान बनाव, जिस में केवल दो-तीन व्यक्ति ही रह, यह आप का कैसा समाजवाद है और कैसा पुनर्निर्माण आप करना चाहते है ? मेरी प्रार्थना है कि इन मूल्यों मे आप को परिवर्तन निश्चित रूप से लाना होगा, अगर नही लायगे तो समाज और परिस्थितिया आप को मजबूर कर देंगी । जब आप समाजवाद की बात करते है तो आप को इन सारी चीजो को और सारे मूल्यो को देखना पडेगा ।

कृषि मे लगे हुए जो कृषि मजदूर है उन को आप ज्यादा जमीन नही दे सकते है, जिस से कि उन के परिवार का भरण-पोषण हो सके । इसलिए कृषि मजदूरो को जिन चीजो का तजुर्बा है, उस मे उनको सहायता देनी चाहिए । जैसे कि दुधारू पशु उन को दिये जाय । अन्त्यादय योजना मे और लघु कृषि विकास योजना मे जो आप दे रहे है, उस मे आप जा कर जानकारी कर सकते है कि चार-चार बेत बियानी भैस दो हजार और चार चार हजार रुपये मे दी जाती है और इसी तरह से चार-चार बत बियानी गाय दी जाती है, जो कि मार्केट मे हजार-बारह सौ मे मिल जायगी । इसमें आप को सुधार लाना पडगा और जो दुधारू पशु है उन मे सुधार के लिए आप को कोई विस्तृत योजना बनानी पडेगी ।

गावो के लोगो को जब तक आप दुधारू पशु उपलब्ध नही करायेंगे, ऐसे दुधारु पशु तो 10-10 और 12-12 किलो दूध दे सके, केवल दो बीघा खेत बाट कर आप उनका भला नही कर पायेंगे । इस लिए मेरा आपिस निवेदन है कि गाव के गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को जो खेतिहर मजदूर कहलाते है, उनके दरवाजो पर आप दुधारू पशु बांधने की व्यवस्था करें । ऐसे दुधारु जानवर जिनको नसल अच्छी हो, तो अच्छा दूध दे सके । अगर यह आप नही कर सकगे तो मैं समझता हूं कि 30-32 साल की जो पुरानी परम्परा नारा देते वाली लाइन पर चलना चाहते हैं, उससे आप चाहे लोगो को खुश कर लें, तो समय बदल रहा है, आप बहुत दिन उनको अब खुश नही कर पायेंगे और आप टिक नही पायेंगे । आपको बदलना पडेगा और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे वास्तव में समाजवाद आ सके और समाजवादी मूल्यो की स्थापना कर सकें, ऐसे मल्य जो न्याय पर आधारित हों ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय बोलते के लिए दिया ।

18.05 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE—*Contd.*

NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND AN EXPLANATORY MEMORANDUM REGARDING RATES OF CUSTOMS DUTY ON BAGGAGE UNDER THE RELEVANT BAGGAGE RULES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Paper to be laid.

Shri Maganbhai Barot.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): Sir, I beg to lay on the Table under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy of Notification No. 142-Customs/80 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 15th July, 1980 together with an explanatory memorandum regarding rates of Customs Duty on baggage imported in excess of the permissible limits admissible under the relevant Baggage Rules. (*Placed in Library. See* No. LT-1072/80.)

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 16, 1980/Asadha 25, 1902 (Saka).